

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4491
जिसका उत्तर 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

तमिलनाडु में पीएमकेएसवाई में प्रगति

4491. श्री मलैयारासन डी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) हर खेत को पानी का ब्यौरा क्या है और तमिलनाडु में इस योजना के माध्यम से सिंचाई के लिए जल उपलब्धता सुनिश्चित करने में कितनी प्रगति हुई है;
- (ख) तमिलनाडु में जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार के लिए पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस पहल के अंतर्गत कितने जल निकायों का नवीनीकरण या पुनरुद्धार किया गया है;
- (ग) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)-हर खेत को पानी के अंतर्गत तमिलनाडु को जल निकायों के जीर्णोद्धार और सिंचाई बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किस प्रकार वित्तीय सहायता आवंटित की गई है;
- (घ) तमिलनाडु में विशेष रूप से सूखा-प्रवण और जल-विहीन क्षेत्रों में जल निकायों की मरम्मत और पुनरुद्धार का कृषि उत्पादकता और किसानों के लिए जल उपलब्धता पर क्या विशिष्ट प्रभाव पड़ेगा; और
- (ङ) तमिलनाडु में पुनर्निर्मित जल निकायों और सिंचाई प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (घ): तमिलनाडु में चरण I से VII तक कुल 545 जल निकायों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी) के तहत लिया गया है। इनमें से 468 जल निकायों पर काम पूरा हो चुका है, जबकि शेष 77 पर काम चल रहा है। 468 जल निकायों के पूरा होने से 13,010 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता को पुनर्जीवित करने और 8.76 मिलियन क्यूबिक मीटर की भंडारण क्षमता को बहाल करने से स्थानीय समुदायों को काफी लाभ हुआ है। इसके अतिरिक्त, आस-पास के निगरानी कुओं में भूजल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। चरण-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) के लिए केंद्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु, तमिलनाडु राज्य सरकार ने चरणबद्ध विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की। राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (एसटीएसी) और राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) से मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, प्रस्तावों को मूल्यांकन के लिए केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), कोयंबटूर, तमिलनाडु के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। सीडब्ल्यूसी की सिफारिशों के आधार पर, जल शक्ति मंत्रालय ने निधि की उपलब्धता, व्यवहार्यता और क्षेत्रीय संतुलन जैसे कारकों पर विचार करते हुए वित्तीय सहायता के बारे में निर्णय लिए।

(ङ): जल राज्य का विषय है, इसलिए संबंधित राज्य सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पुनर्निर्मित जल निकायों का प्रबंधन और रखरखाव करना अनिवार्य है। पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत पुनर्निर्मित जल निकायों के लिए नियमित रखरखाव कार्य तमिलनाडु सरकार द्वारा आवंटित वार्षिक रखरखाव निधि का उपयोग करके जल संसाधन विभाग, तमिलनाडु सरकार द्वारा किया जाता है।

“तमिलनाडु में पीएमकेएसवाई में प्रगति” के संबंध में दिनांक 27.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4491 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत केंद्र द्वारा सहायता प्राप्त तमिलनाडु के जल निकायों के कार्यों के आरआरआर की स्थिति

(करोड़ रुपये में, आईपी हजार हेक्टेयर में और भंडारण एमसीएम में)

क्र. सं.	चरण	टैक्सों की संख्या	अनुमानित लागत	केंद्रीय शेयर	केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया (एसएनए प्रणाली में - 15 मार्च 2025 तक)	पूर्ण हुए कार्य	बहाल सिंचाई क्षमता (आईपी)	भंडारण पुनरुद्धार
1	चरण-I	48	27.02	16.06	5.13	48	0.94	1.29
2	चरण-II	56	27.30	16.38	4.09	56	1.51	1.50
3	चरण-III	49	23.43	14.06	8.98	49	1.35	1.05
4	चरण-IV	83	46.81	28.08	26.04	83	2.18	1.83
5	चरण-V	9	4.17	2.50	2.15	9	0.26	0.15
6	चरण-VI	115	71.89	43.13	29.48	101	2.81	0.12
7	चरण-VII	85	80.83	48.49	30.08	62	2.27	1.27
8	चरण-VIII	100	83.77	50.26	28.27	60	1.69	1.55
	कुल	545	365.22	218.96	134.22	468	13.01	8.76

पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत जल निकायों के चल रहे आरआरआर के कार्यान्वयन के लिए पीएफएमएस की एसएनए-स्पर्श प्रणाली के तहत दिनांक 20.03.2025 को तमिलनाडु सरकार को 21.971795 करोड़ रुपये की मदर सेंक्शन जारी की गई।